

कथन — के.के. बारिक

थाना	—	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध क्रमांक	—	09/2015
धारा	—	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	—	के.के. बारिक पिता स्व. श्री नारायण बारिक
उम्र	—	37 वर्ष
पता	—	रावतपुरा कालोनी, मठपुरैना, रायपुर (छ0ग0)
मो. नं.	—	शासकीय 88179-03329, निजी 94077-51183
व्यवसाय	—	स्टेनो टायपिस्ट, ना0आ0नि0 मुख्यालय रायपुर
	—00—	

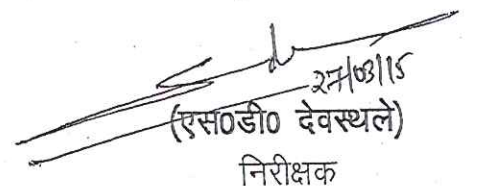
मैं कृतिकांत बारिक उपरोक्तानुसार, नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर में स्टेनो टायपिस्ट के पद पर पदस्थ हूँ। मुख्यालय में मैं मैनेजर पी.डी.एस. श्री एस. एस. भट्ट के स्टेनो टायपिस्ट के रूप में कार्य करता था। मेरा शासकीय मोबाईल नंबर 88179-03329 तथा निजी मोबाईल नंबर 94077-51183 जो मेरे नाम से है।

आज मुझे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय में मेरे शासकीय मोबाईल नंबर 88179-03329 पर श्री डी.एस. राम, जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, कवर्धा से उनके निजी मोबाईल नंबर 93003-26276 से हुई बात का कॉल ट्रांसक्रिप्शन दिखाया गया एवं टेप की हुई आवाज को सुनाया गया। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ कर एवं रिकार्ड की हुई बातें सुनकर वार्तालाप के संबंध में बता रहा हूँ कि :-



दिनांक 11.12.2014 के 10:59:49 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 11.12.2014 के 11:01:02 बजे का कॉल मेरे शासकीय मोबाईल नंबर से श्री डी.एस. राम जिला प्रबंधक, कवर्धा से उनके निजी मोबाईल नंबर पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में राम साहब द्वारा मुझे बताया गया था कि भट्ट साहब ने कल जो जानकारी मांगे थे उसका मेल भेजा हूँ और चावल एल.आर. टी. का कुछ आदेश होने के संबंध में और गाड़ी खाली कराने के लिये पूछा था। इस पर मेरे द्वारा उन्हें बताया गया था आदेश हो गया है, हस्ताक्षर होकर आपको थोड़ी देर में ई-मेल से मिल जायेगा, गाड़ी खाली करा लीजिये। श्री राम साहब ने मुझसे यह भी कहा था कि इस काम का आपको एक्सट्रा पैसा दे देंगे। तब मैंने उन्हें कहा था कि आप लोग हमारे साहब श्री भट्ट को भर पैसा देते रहो, हम लोग का ध्यान मत रखो। इस पर राम साहब द्वारा मुझे कहा गया कि आपको भी देते रहते हैं, भले कम देते हैं। यही मेरा कथन है।

RAAC before me.


(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ़